RKSK
Rashtriya Kishor
Swasthya Karyakram
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

अपनी ताकत जानें हम
लड़कियां नहीं किसी से कम

पिछले अंक में आपने पढ़ा कि निशा और रूबीना आशा दीदी के साथ सरपंच काकी के पास जाना चाहती हैं । मुस्कान भी उनके साथ है। अब आगे –

अरे काकी, समस्या है तो उसका हल भी होगा। बताओ क्या हुआ दीपा के घर ?
उसका पति आए दिन पीटता है। कितनी बार समझाया। पर कल तो...

कल क्या हुआ? हमें तो पता ही नहीं।
कल रात दीपा के भाई आए थे। उनके सामने भी पहले गाली–गलौच और फिर मार–पीट।

काकी, औरतों में ताकत नहीं होती क्या ? जो वे मार खाती रहती हैं।
नहीं निशा, औरतें सहने की आदत डाल लेती हैं। यही समझाया दीपा को। सहो नहीं कहो। मदद के लिए आवाज उठाओ।

कोई हमारी भी तो मदद करो। उन बिगड़े लड़कों का क्या करें ?
कौन से लड़के ? क्या किया उन्होंने ?
दीदी, पास के गांव के लड़के हैं। रास्ते में रोककर छेड़ते हैं।
मैं तो कहती हूं, तुम भी अपनी ताकत दिखाओ। चुप रहने से काम नहीं चलेगा।

वो तो हमसे बड़े और ताकतवर हैं। फिर?
लड़ाई ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाती है। और फिर हम सब तुम्हारे साथ हैं।

इस पर भी ना माने तो शिकायत करेंगे उनकी। फिर कानून करेगा अपना काम।

दीपा को भी बताएंगे, घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून है। सशक्तिकरण अधिकारी गांव में आते हैं। वे बताते हैं सब कानूनों के बारे में।
सशक्तिकरण विभाग
तब तो वे उन लड़कों को भी सबक सिखाएंगे।
ना, उन्हें तो तुम ही सबक सिखाओगी। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। कल तुम उन लड़कियों के साथ रोज की तरह स्कूल जाना।

और छेड़ें तो डरना मत। हिम्मत से काम लेना। लड़कियां किसी से कम नहीं हैं।
और यदि कुछ ऊंच–नीच हो गई तो ?

डरो मत। तुम्हारे पीछे हम आएंगे। पर कुछ दूर चलेंगे। और समय आने पर सामने आएंगे।
हिंसा से डरना नहीं, उसका सामना करना है। समझ गई ना ?

अगले दिन बस्ती की 3–4 लड़कियां स्कूल के लिए निकलीं। रास्ते में उन्हीं लड़कों ने साइकल लड़कियों के सामने कर दी। एक की चुन्नी पकड़ते हुए...
धूप में निकला न करो रूप की रानी .... गोरा रंग काला ना...

क्या हुआ रूप के राजा ? हमारे रंग की फिक्र करने का नतीजा देख लिया ?
और छेड़ोगे हमें ? हैं ?
मैं.... मैं.... छोड़ूंगा नहीं तुमको ...

और यदि अब गांव की लड़कियों को छेड़ा तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। समझे ?
अभी तो समझा रहे हैं। कहीं तुम्हारी शिकायत थाने में कर दी तो जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी।

तुम्हारी पढ़ने–खेलने की उम्र है। यूं आवारागर्दी में जिंदगी बर्बाद मत करो। स्कूल जाओ और अपना भविष्य बनाओ।
चलो, हम भी स्कूल चलें। वरना देर हो जाएगी।

बेचारा, गिरा तो नानी याद आ गई होगी उसे।
अच्छा सबक मिला। हम सब इतने दिन यूं ही डरते रहे। ये विरोध पहले ही दिखा देते तो ?

हममें ही हिम्मत नहीं थी। वो तो काकी और दीदी ने सलाह दी और बात बन गई। आज पता चला हम किसी से कम नहीं।
सुनो, इस बारे में हमें सब सहेलियों से बात करनी चाहिए। वे भी जानें अब हम बड़े हो रहे हैं।

बिलकुल। ऐसे और भी मुद्दे हैं जिन पर गुपचुप बातें तो होती है पर खुलकर नहीं। अब आंगनवाड़ी में किशोरियों की बैठक होगी तो हम इसी पर बात करेंगे।
ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर गुपचुप बातें होती हैं ?
क्या किशोरियों की बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी ?
जानने के लिए पढ़िए अगला अंक।

पढ़ी गई कहानी के अनुसार, हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे:

लिंग आधारित हिंसा

-लड़कियों ने सरपंच काकी से क्या शिकायत की ?
-लड़के लड़कियों को क्यों छेड़ते हैं ?
-लड़कों को सबक सिखाने के लिए क्या योजना बनाई ?

लिंग आधारित हिंसा के प्रकार

-सरपंच काकी दीपा के घर क्यों गई थी ?
-लड़के स्कूल के रास्ते में लड़कियों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते थे ?
-इस तरह के और कौन-कौन से व्यवहार हैं जो लड़कियों/महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं ?

सामाजिक दबाव के बावजूद गरिमा के साथ खड़े होना

-आशा दीदी ने अगले दिन के लिए क्या सलाह दी ?
-लड़कियों ने किस तरह छेड़नेवाले लड़कों का मुकाबला किया ?
-हिंसा को सहना नहीं कहना होगा, इसे सबको समझाने के लिए क्या करना चाहिए ?

याद रखने वाले मुख्य संदेश

लिंग आधारित हिंसा

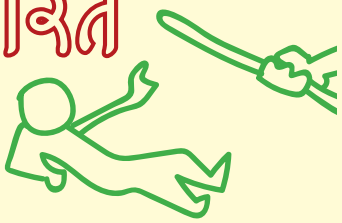

❖ विपरीत लिंग द्वारा की गई हिंसा लिंग आधारित हिंसा कहलाती है। प्रायः लड़कियां या महिलाएं लड़कों या पुरूषों के द्वारा की गई हिंसा की शिकार होती हैं।

❖ लिंग आधारित हिंसा में थारीरिक बल प्रयोग के साथ ही मानसिक या आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना भी शामिल है।

❖ इन व्यवहारों को भी हिंसा कहेंगे –

– धक्का देना, थप्पड़ मारना, हाथ उठाना।

– शारीरिक यौन संबंधी किया करने के लिए दबाव डालना, ताने कसना, असहज महसूस कराना।

– गाली देना, अपथब्द कहना, डराना, धमकाना, महिला के निर्णय, आने–जाने, कार्यों पर काबू रखना।

– रंग–रूप, शारीरिक दोष, पारिवारिक स्थिति आदि पर ताने देना आदि हिंसा में आते हैं।

हिंसा व प्रताड़ना से बचाव

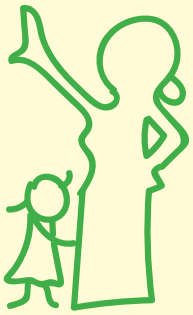

❖ हिंसा किसी भी रूप में जायज नहीं है।

❖ हिंसा से लड़ने व उसे समाप्त करने के कई तरीके हैं।

❖ स्वयं पर हुई हिंसा या प्रताड़ना के विषय में चुप रहना गलत है। इस संबंध में तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताने में बिलकुल भी थर्म नहीं करनी चाहिए।

❖ समय पर मदद मांगना और सहायता के लिए जिम्मेदार संस्थाओं तक पहुंचना साहस का कार्य है।

हम सभी में हिंसा के खिलाफ लड़ने की थक्ति है और जरूरत होने पर हमें इस थक्ति का उपयोग करना चाहिए।

❖ कुछ संस्थाएं हैं जो हिंसा से लड़ने में आपकी मदद करती हैं –

– चाइल्ड लाइन
– महिला एवं बाल विकास विभाग
– प्रत्येक थाने के बाल कल्याण अधिकारी
– राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग
– बालक न्यायालय
– किथोर न्यायिक बोर्ड
– परिवार परामर्थ केंद्र आदि।

साथिया

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- आशा की सहायता से गांव में 10 से 19 वर्ष की आयु के सभी किशोर/किशोरियों की सूची तैयार करना।
- स्वास्थ्य एवं संरक्षण के मुद्दों के संबंध में मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने में किशोर/किशोरियों की सहायता करना।
- आशा/ए.एन.एम. की सहायता से आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सीय व सुरक्षा संबंधी जरुरत में दूसरी जगह रेफर करवाना।
- किशोर/किशोरियों की बातों की हमेशा गोपनीयता बनाए रखना।
- बच्चों और किशोर/किशोरी पर हिंसा के मामलों को पुलिस या बाल संरक्षण अधिकारी को सूचित करना।
- हिंसा के शिकार व्यक्ति की चिकित्सा देखभाल एवं परामर्श लेने और कानूनी सहायता हासिल करने में सहायता करना।
- धर्म, जाति, वर्ग, जेंडर या वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना सभी किशोर/किशोरियों तक पहुंचना।

पहला अंक

दूसरा अंक

तीसरा अंक

चौथा अंक

पांचवां अंक

छठा अंक

सातवां अंक

UNFPA